भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 839
जिसका उत्तर बुधवार, 26 जून, 2019 को दिया जाना है

चुनाव सुधार

839. श्री टी.एन. प्रथापन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव सुधार से संबंधित एक समिति द्वारा अनुशंसित कई महत्वपूर्ण चुनावी सुधार के मामले जैसे कि चुनाव के लिए काले धन का उपयोग को रोकना आदि लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा चुनावी सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार ईवीएम से छेड़छाड़ और चुनाव परिणामों में हेर-फेर के खिलाफ लगातार शिकायतों के मद्देनजर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए तैयार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : भारत के विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में "निर्वाचन संबंधी सुधारों" पर कई सिफारिशें दी हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ, निर्वाचनों में काले धन के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए राजनैतिक दलों के वित्त पोषण का विनियमन भी सम्मिलित है । विधि आयोग की सिफारिशें सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ।

(घ) और (ड.) : भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) में तकनीकी उपायों के कारण तथा इस संबंध में अधिकथित कड़ी प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के कारण भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है । आयोग द्वारा उपयोग की जा रही मशीन एकल, नेटवर्क रहित और एक बार ही प्रोग्राम किए जाने योग्य है, जो न तो कम्प्यूटर नियंत्रित है और न ही इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ी है और इसलिए इसे हैक नहीं किया जा सकता । मशीन को किसी छेड़छाड़/ हेरफेर से बचाने के लिए, इलैक्ट्रानिक रुप से

सुरक्षित किया गया है। इन मशीनों में प्रयुक्त प्रोग्राम एक बार ही प्रोग्राम योग्य /मास्कड चिप में बर्न किया जाता है जिससे इसमें परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता।

****